उत्तर प्रदेश राज भाषा अधिनियम, 1951 ई0

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1951 ई0)

UTTAR PRADESH OFFICIAL LANGUAGE ACT, 1951

[U.P. Act No. XXVI of 1951]

उत्तर प्रदेश राज भाषा अधिनियम, 1951 ई०[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1951 ई०]

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 09, 1969

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1989

द्वारा संशोधित

उत्तर प्रदेशीय विधान सभा ने दिनांक 27 सितम्बर, 1951 ई० तथा उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद् ने दिनांक 29 सितम्बर, 1951 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।

भारत का संविधान के अनुच्छेंद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 5 नवम्बर, 1951 ई० को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 12 नवम्बर, 1951 ई० को प्रकाशित हुआ ।

उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय प्रयोजनों और अन्य विषयों के लिये प्रयोग के निमित्त भाषा के रूप में हिन्दी के अंगीकार के लिये व्यवस्था करने का

अधिनियम

संविधान के अनुच्छेंद 345 और अनुच्छेद 348 के खंड (3) में और विषयों के अतिरिक्त यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के राजकीय प्रयोजनों और ऐसे विषयों के लिये जो इस अधिनियम में आगे चलकर प्रकट होंगे, प्रयोग में लाने के लिये भाषा के रूप में, राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, देवनागरी लिपि में हिन्दी को अंगीकृत कर सकता है ;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश राज भाषा अधिनियम, 1951 ई० होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

राज्य में हिन्दी का राज भाषा होना

2–संविधान के अनुच्छेद 346 और 347 के उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, [2][* * *] ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में नियत करे, देवनागरी लिपि में हिन्दी का उपयोग निम्नलिखित के सम्बन्ध में होगा :––

(क) (1) संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रचारित, अध्यादेश ।

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 23 अगस्त, 1951 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 09, 1969 की धारा 3 द्वारा निकाला गया ।

(2) भारत का संविधान के अधीन अथवा संसद या राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, राज्य सरकार द्वारा प्रचारित आज्ञा, नियम, विनियम और उपविधि; और

(ख) राज्य के सभी या कोई राजकीय प्रयोजन ;

और उपर्युक्त खंड (क) और (ख) में उल्लिखित विभिन्न प्रयोजनों के लिये भिन्न–भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

[1][प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, एतदर्थ साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, राज्य के किसी राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगी।]

उर्दू का प्रयोग

[2][**3**–उर्दू भाषा भाषियों के हित में, द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू का प्रयोग, ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जायगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए जायें ।]

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 09, 1969 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 28, 1989 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।